न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास जिला अलवर राज.

अध्यासित द्वारा :— ओमप्रकाश सहारण , आर.ए.एस.

मु.न.	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
202 / 21	27.12.2021	01.02.2022

उनवान

1. सतनाम सिह पुत्र बलवन्त सिह जाति रायसिख निवासी शेखपुर तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज.

:— वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब किशनगढबास तहसील किशगनढबास जिला अलवर

:— प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012

....

उपस्थिति :—

1. श्री साहिल खान वकील वादीगण की और से।
2. प्रतिवादी की ओर से पैरोकार सरकार ।

वाद वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का सुक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से है:—
वकील वादी ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम शेखपुर तहसील किशनगढबास मे साबिक खसरा नम्बर 759 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा आराजी दीगर सहित किता 9 रकबा 16 बीघा कृषि भूमि बोगासिह पुत्र रूपसिह कौम रायसिख को सरकार द्वारा आवंटित की गई थी साबिक खसरा नम्बर 759 मिन काफि बडा रकबा है जो वर्तमान मे खसरा नम्बर 1027 / 7.08, 1028 / 2.06, 1029 / 1.54,1030 / 0.82, 1031 / 0.63, 1034 / 0.73, 1035 / 0.81, 918 / 1089 / 0.27 हे. मे शामिल हुआ है। जो वाद मे विवादित आराजी है।

अलौटी बौगासिह पुत्र रूपसिह रायसिख के फौत होने पर कुल अलौटीशुद्वा की कीमत कर्जा जमाकोष उसके एक मात्र लडके मंगलसिह पुत्र बोगासिह ने जमा कराकर सनद पटटा —1508(73) दिनांक 04.05.1973 को जारी कराया एवं सनद पटटा के आधार पर नामान्तकरण खातेदारी सख्या —85 दिनांक 23.9.78 को रकबा 15 बीघा 18 बिस्वा का विधिवत दर्ज वो स्वीकार हुआ है सनद पटटा सख्या 1508 दिनांक 04.05.1973 के आधार पर इन्तकाल खातेदारी 85 बहक मंगल सिह पुत्र बोगासिह दर्ज वो स्वीकार हुआ है। जिसके हाल आराजी खसरा 1037, 1038 किता 2 रकबा 2 बीघा 09 बिस्वा का इन्तकाल पहले ही ईसब पुत्र नजबू मेव के नाम इन्तकाल दर्ज वो स्वीकार हो चुका है कब्जा इसी आराजी का शेष रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा पर वादी व उसके पिता का रहा । जो रकबा साबिक खसरा 759 मिन रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा का ही जुज रहा है और इसी पर वादी अपने पिता के साथ काबिज काश्त चला आ रहा है तथा आराजी खसरा नम्बर 1034, 1035 के खाते पर काबिज काश्त करता चला आ रहा है मंगलसिह को उसके अलौटशुद्वा रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा मे से 1बीघा 12 बिस्वा जरिये डिकी दिनांक 17.10.2012 एस.डी. ओ. से प्राप्त हो चुकी है केवल साबिक खसरा नम्बर 759 रकबा 2बीधा 12 बिस्वा शेष है जिसकी जिसकी खातेदारी हेतू मौजूदा वाद न्यायालय मे पेश किया जा रहा है।

आराजी उक्त मूल आवंटी द्वारा मिन वादी को जर्ये इकरारनामा दिनांक 09.04.2014 को विकेय किया है वक्त खरीद से मिन वादी ही विवादित आराजी पर काबिज काश्त है

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

आज भी काबिज है फसल काश्त करता चले आ रहे है। वर्तमान मे राज्य सरकार का परिपत्र दिनांक 30.3.2012 प्रभावी है इसलिए मिन वादी उक्त परिपत्र के अनुसार नियमितिकरण शुल्क एवं शास्ती जमा करा हकूक खातेदारी प्राप्त करने अधिकारी है। मिन वादी द्वारा विवादित आराजी जो साबिक खसरा नम्बर 759 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा जो वर्तमान मे दर्ज खाता सख्या 179 मे वर्णित खसरा नम्बर 1027/7.08, 1028/2.06, 1029/1.54,1030/0.82, 1031/0.63, 1034/0.73, 1035/0.81, 918/1089/0.27 हे. मे शामिल हुआ है। यहा यह भी निवेदन है कि खाता सख्या 179 का कुल रकबा 13.94 हे. यानी 55 बीघा 03 बिस्वा वाके ग्राम शेखपुर तहसील किशनगढबास है जबकी दर्ज खातेदारान/ गैरखातेदारान का हिस्से का योग मिजान 48 बीघा है वादी का उक्त रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा खातेदार मे दर्ज होने के बाद मे खातेदारान का योग मिजान खाते के मूल रकबे से कम रहता है।

अतः श्रीमान न्यायालय से निवेदन है कि मिन वादी द्वारा आवंटी मंगलसिह पुत्र बोगासिह से जर्ये इकरारनामा दिनांक 09.04.2014 के आधार पर साबिक खसरा नम्बर 759 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा खरीद किया है उक्त साबिक वर्तमान मे खसरानम्बर 1034 व 1035 से बना है जो खाता सख्या 1027/7.08, 1028/2.06, 1029/1.54,1030/0.82, 1031/0.63, 1034/0.73, 1035/0.81, 918/1089/0.27 हे. मे शामिल हुआ है। मौके पर वादी का कब्जा काश्त काश्त है कोई विवादित नही है ना ही प्रकरण अब्दुल रहमान श्रेणी का है इसलिए राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012 के अनुसार कब्जा सिद्व करा वादी स्वंय को काबिज काश्तकार घोषित करा प्रकरण अवैध हस्तानान्तरण कि आधार पर खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है इसलिए वाद श्रीमान न्यायालय मे पेश करना लाजिम आया है।

अतः वाद वादी निम्न प्रकार से डिकी फरमाया जावेः—

1. वाद वादी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी डिकी किया जाकर वादी को आराजी खसरा नम्बर 1027/7.08, 1028/2.06, 1029/1.54,1030/0.82, 1031/0.63, 1034/0.73, 1035/0.81, 918/1089/0.27 हे. कुल किता 8 रकबा 13.94 हे. मे से 2 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम शेखपुर तहसील किशनगढबास को काबिज काश्तकार खातेदार घोषित किया जावे । इसी कदर राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012 के नियमितिकरण शुल्क एवं शास्ती जमा कराने हकूक खातेदार घोषित करने की कृपा करे। तथा इसी कदर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किये जाने के आदेश पारित करने की कृपा करे।
2. दीगर दादरसी जो बनजदीक अदालत श्रीमान उचित समझे अता फरमाई जावे।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने जबाब दावा पेश कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 1034/0.73, 1035/0.81 हे. किस्म बारानी सोयम खाता सख्या 179 मे अतरसिह , अमरचन्द वैगरा के नाम दर्ज रिकार्ड है उक्त खसरा नम्बर 1034 , 1035 व अन्य का साबिक खसरा नम्बर 759 मे से 04 बीघा 18 बिस्वा की सनद बोगासिह पुत्र रूपसिह द्वारा मंगल सिह जाति रायसिख निवासी शेखपुर के नाम दिनांक 04.05.1973 को जारी हुई है। उक्त सनद का नामान्तकरण सख्या 85 दिनांक 23.09.78 द्वारा स्वीकार हुआ । जिसमे अन्य खसरा के साथ ख0न0 1034 , 1035 के स्थान पर 1037 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा , 1038 रकबा 2 बीघा14 दर्ज कर दिया गया जबकी 1037, 1038 खसरा नम्बबर नामान्तकरण सख्या 78 दिनांक 22.08.78 द्वारा जुम्मा पुत्र नजजू मेव निवासी शेखपुर कोबेचान कर दिया गया था जो कि पटवारी द्वारा सहवन से हुई लिपिकीय भूल है।

उक्त नामान्तकरण 78 मे प्रार्थी को अलोटशुद्वा साबिक खसरा नम्बर 759 मे से 04 बीघा 18 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 1034 रकबा 02 बीघा 18 बिस्वा , 1035 रकबा 03 बीघा 04 बिस्वा मे से 2 बीघा 12 बिस्वा का अंकन होने के बजाय 1037 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा , 1038 रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा का अंकन हो गया जबकी 1037,1038 का बेचान पूर्व मे हो चुका था तथा 1037 का रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा तथा 1038 का रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा है। अलौटी मंगलसिह पुत्र बोगासिह द्वारा प्रार्थी को दिनांक 09.04.2014 को खसरा नम्बर 1034, 1035 वाके ग्राम शेखपुर मे से 02 बीघा 12 बिस्वा

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

इकरारनामा किया है जिसके आधार पर प्रार्थी हाल राजस्व रिकार्ड मे खसरा नम्बर 1034, 1035 मे से 02 बीघा 12 बिस्वा का खातेदारी दर्ज करवाना चाहता है

बाद जबाब दावा प्रकरण का अवलोकन किया । प्रकरण राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012 के अनुसार है इसलिए प्रकरण मे वकील वादी बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए वाद वादी का डिक्री किये जाने की इस्तदुआ की।

हमने वकील वादी की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अध्योपान्त अवलोकन किया। हाल जमाबन्दी सम्वत 2076–79 मे अतरसिह , अमरसिह वैगरा खसरा नम्बर 1027/7.08, 1028/2.06, 1029/1.54,1030/0.82, 1031/0.63, 1034/0.73, 1035/0.81, 918/1089/0.27 हे. कुल किता 8 रकबा 13.94 हे. है । साबिक खसरा नम्बर 759 मिन रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा मूल आवंटी बोगासिह पुत्र मंगलसिह रायसिख को अलौट हुआ था । साबिक खसरा नम्बर 759 का नामान्तकरण मूल के आवंटी के नाम जर्ये नामान्तकरण सख्या 85 हाल खसरा नम्बर 1036 मी रकबा 0–07 बिस्वा एवं 1041 मी रकबा 0–07 मे हो चुका है हालाकि खसरा नम्बर 1037 एवं 1038 का नामान्तकरण भी मूल आवंटी के नाम दर्ज हुआ किन्तु नामान्तकरण सख्या 78 जुम्मा पुत्र नजबू जाति मेव के नाम खसरा नम्बर 1037 , 1038 मे होने के कारण राजस्व रिकार्ड मे बोगासिह पुत्र मंगलसिह के नाम अंकल नही हो सका। वर्तमान मे साबिक खसरा नम्बर 759 मे से 2 बीघा 12 बिस्वा का अमल होना मुताबिक आवंटन होना है। मूल आवंटी द्वारा जर्ये इकरारनामा दिनांक 09.04.2014 के द्वारा वादी को बेचान किया है रिपोर्ट तहसीलदार किशनगढबास के पत्र क्रमाक /राजस्व/21/23दिनांक 07.01.2022 के द्वारा मौके पर वादी का कब्जा काश्त है। साबिक खसरा नम्बर 759 जो हाल खसरा नम्बर 1034, 1035 से बना है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे खसरा नमबर 1034, 1035 खाता सख्या 179 सम्वत 2076–70 के खसरा नम्बर 1027/7.08, 1028/2.06, 1029/1.54,1030/0.82, 1031/0.63, 1034/0.73, 1035/0.81, 918/1089/0.27 हे. कुल किता 8 रकबा 13.94 हे. मे शामिल हुआ है जैसा की उक्तानुसार वर्णित किया जा चुका है आराजी विवादित का मूल आवंटी द्वारा जर्ये इकरारनामा दिनांक 09.04.2014 के द्वारा अवैध हस्तनान्तरण किया है मौके पर वादी का कब्जा काश्त है इसलिए प्रकरण अवैध हस्तानान्तरण श्रेणी का होने के कारण राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012 के अनुसार नियमितिकरण शुल्क एवं शास्ती जमा करा हकूक खातेदारी वादी को प्रदत्त किया जाना उचित एवं न्याय संगत समझते है न्याय एवं विधि का सिद्वान्त भी यही है वाद वादी काबिले डिक्री करार पाता है।

अतः आदेश हैः–

वाद वादी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर वादी को आराजी खसरा नम्बर 1027/7.08, 1028/2.06, 1029/1.54,1030/0.82, 1031/0.63, 1034/0.73, 1035/0.81, 918/1089/0.27 हे. कुल किता 8 रकबा 13.94 हे0 मे से 2 बीघा 12 बिस्वा यानी 0.65 हे. वाके ग्राम शेखपुर का काबिज काश्तकार खातेदार घोषित किया जाता है तथा वादी राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012 के अनुसार नियमितिकरण शुल्क एवं शास्ती जमा करा सनद खातेदारी जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है राशि जमा राज कोष हो सनद खातेदारी जारी हो। तथा मुताबिक सनद खातेदारी आराजी उक्त किता 8 रकबा 13.94 हे. मे से 02 बीघा 12 बिस्वा यानि 0.65 हे. वाके ग्राम शेखपुर तहसील किशनगढबास मे अमल राजस्व रिकार्ड हो। खर्चा वादी स्वयं वहन करेगे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तकमिल दाखिल लेख भण्डार हो। सुनाया गया।

ओमप्रकाश सहारण
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास जिला अलवर राज.

अध्यासित द्वारा :– ओमप्रकाश सहारण , आर.ए.एस.

मु.न.	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
202 / 21	27.12.2021	01.02.2022

पर्चाडिक्री

उनवान

1. सतनाम सिह पुत्र बलवन्त सिह जाति रायसिख निवासी शेखपुर तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज.

:– वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब किशनगढबास तहसील किशगनढबास जिला अलवर

:– प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012

....

उपस्थिति :–

1. श्री ....
2. प्रतिवादी की ओर से पैरोकार सरकार ।

वाद वादी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर वादी को आराजी खसरा नम्बर 1027 / 7.08, 1028 / 2.06, 1029 / 1.54,1030 / 0.82, 1031 / 0.63, 1034 / 0.73, 1035 / 0.81, 918 / 1089 / 0.27 हे. कुल किता 8 रकबा 13.94 हे0 मे से 2 बीघा 12 बिस्वा यानी 0.65 हे. वाके ग्राम शेखपुर का काबिज काश्तकार खातेदार घोषित किया जाता है तथा वादी राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012 के अनुसार नियमितिकरण शुल्क एवं शास्ती जमा करा सनद खातेदारी जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है राशि जमा राज कोष हो सनद खातेदारी जारी हो। तथा मुताबिक सनद खातेदारी आराजी उक्त किता 8 रकबा 13.94 हे. मे से 02 बीघा 12 बिस्वा यानि 0.65 हे. वाके ग्राम शेखपुर तहसील किशनगढबास मे अमल राजस्व रिकार्ड हो।

ओमप्रकाश सहारण
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास

प्रारूप सख्या 6

(देखिये नियम 15(3))

सनद का प्रारूप

चूकी राजस्थान भू. राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन नियम 1970 तथा आवंटन आदेश मे निर्णित शर्तों एवं राजस्थान निष्कान्त कृषि भूमि का अस्थाई आवंटन नियम 1963 के संशोधित (राजस्व विभाग के नोटिफिकेशन दिनांक 6.10.2009 एवं संशोधित परिपत्र 30.3.2012 के अधीन /नियमन की गई भूमि की खातेदारी सनद निम्न प्रकार से जारी की जाती है।

1. आवंटन/ नियमन का दिनांक व स्थान	जर्ये वाद सतनाम सिह बनाम सरकार मु.न. 202/21 निर्णय दिनांक 01.02.2022
2. खातेदार का नाम व पूर्ण पता	सतनाम सिह पुत्र बलवन्तसिह जाति रायसिख निवासी शेखपुर तहसील किशनगढबास जिला अलवर
3. तहसील व जिला	तहसील किशनगढबास जिला अलवर
4. राजस्व ग्राम जंहा भूमि स्थित है।	ग्राम शेखपुर तहसील किशनगढबास
5. भूमि का क्षेत्रफल मय खसरा नम्बर मय किस्म	खसरा नम्बर 1027/7.08, 1028/2.06, 1029/1.54, 1030/0.82, 1031/0.63, 1034/0.73, 1035/0.81, 918/1089/0.27 हे. कुल किता 8 रकबा 13.94 हे. मे से 0.65 हे. वाके ग्राम शेखपुर तहसील किशनगढबास किस्म खातानुसार
6. लगान दर	खातानुसार
7. राशि जमा होने का चालान नम्बर मय दिनांक	जी.आर.एन. 58288431 से राशि 5200 रू. (पांच हजार दो सौ रूपये मात्र)मद 0075 जी.आर.एन. 58287866 से राशि 10400 रू. (दस हजार चार सौ रूपये मात्र)मद 0049

नोटः– खाता सख्या 179 कुल किता खसरा 8 रकबा 13.94 हे. मे से 0.65 हे. मे उक्तानुसार अमल खातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

ओप्रकाश सहारण
उपखण्डअधिकारी
किशनगढबास

क्रमाक/सम/2022/1606-09 दिनांक 02/02/2022

प्रतिलिपिः–

1. तहसीलदार किशनगढबास को प्रेषित कर लेख है कि प्रार्थी का सनद के अनुसार खातेदारी नामान्तकरण दर्ज कर नामान्तकरण दर्ज किये जाने की कार्यवाही करे।
2. पटवारी हल्का को प्रेषित कर लेख है मुताबिक सनद नामान्तरकरण दर्ज कर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करे।
3. प्रार्थी सतनाम सिह पुत्र बलवन्तसिह जाति रायसिख निवासी शेखपुर तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज.
4. रक्षित पत्रावली

औमप्रकाश सहारण
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास